न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर. ए. एस.
मुकदमा संख्या 71/2024

र्थिनी–

ला पत्नी श्री सुखदेव भाटी,
ते माली, निवासी रियांबड़ी, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर

बनाम

ार्थीगण–

विशाल पुत्र श्री पुखराज, जाति माली, निवासी रियांबड़ी, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर
सियाराम पुत्र श्री शंकरराम, जाति रैगर, निवासी बीजाथल, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रियांबड़ी
पटवारी हल्का, बीजाथल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 27/8/24

श्रीमान जी प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न है–

यह है कि प्रार्थीनी ने माननीय न्यायालय में अनुवान सदर का एक वाद प्रस्तुत किया है, जो बहुत ही मजबूत बिनाय पर है तथा प्रार्थीनी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी आशा है।

यह है कि मौजा लूंगिया की सरहद के खसरा नं. 254 / 107 रकबा 0.8000 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थनी की खरीदसुदा, कब्जासुद, उपयोग व उपभोग की है।

3. यह है कि उपरोक्त खसरा नं. 254/107 रकबा 0.8000 हैक्टेयर की भूमि अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी मे दर्ज है। जो फूड प्रोसेसिंग प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि है। अप्रार्थी सं. 2 ने खसरा नं. 254 / 107 रकबा 0.8000 हैक्टेयर भूमि को –जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा 16–02–2023 के द्वारा प्रार्थीनी को बेचान करके : प्रार्थीनी का कब्जा करवा दिया। इस प्रकार खसरा नं. 254 /107 रकबा 0.8000 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थीनी की खरीदसुद्रा, खातेदारी – की काश्त व कब्जासुद है।

4. यह है कि प्रार्थीनी के उक्त खसरा नं. 254 / 107 रकबा 0.8000 हैक्टेयर के चिपते ही उत्तरी तरफ खसरा नं. 193,/106 रकबा 0.0743 हैक्टेय अप्रार्थी सं.1 की खातेदारी की आई हुई है। मगर अप्रार्थी सं. 1 उक्त खसरा नं. 193/106 को प्रार्थीनी की खरीदसुदा भूमि में बताकर रास्ता निकालने पर आमादा है तथा प्रार्थीनी की भूमि में नाजायज रूप से कब्जा करने पर आमादा हो रखा है। जिसका अप्रार्थी सं. 1 का कोई हक, अधिकार, काश्त व कब्जा नहीं है।

5. यह है कि उक्त खसरा नं. 254/107 रकबा 0.8000 हैक्टेयर की खातेदारी अभी तक अप्रार्थी सं. 2 के नाम दर्ज है। जबकि उक्त भूमि प्रार्थीनी, की खरीदसुदा, खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। जिससे मौजा लूंगिया की सरहद में स्थित खसरा नं. 254/107 रकबा 0.8000 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद घोषित की जाना न्यायोचित है।

6. यह है कि अप्रार्थी सं. 1, प्रार्थीनी की खरीदसुदा भूमि खसरा नं. 254/107 रकबा 0.8000 हैक्टेयर के उत्तरी तरफ नाजायज रूप से अतिक्रमण कर खसरा नं. 193/106 को प्रार्थनी की खरीदसुदा भूमि में कायम करवाने पर आमादा हो रखा है। यदि अप्रार्थी सं. 1 अपने नापाक इरादों में सफल हो गया तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे प्रार्थीनी को प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र हाजा प्रस्तुत है।

7. यह है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में बहुत ही मजबूत है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थनी की खरीदसुदा, कब्जासुद, उपयोग व उपभोग की भूमि है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है। अगर अप्रार्थी सं. 1 अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीनी को ही होगी।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीनी खिलाफ अप्रार्थगण इस अमर की जारी की जावें कि मौजा लूंगिया की सरहद में स्थित खसूरा नं. 254 / 107 रकबा 0.8000 हैक्टेयर–की जमीन में प्रार्थीनी के कब्जा, उपयोग व उपभोग में अप्रार्थी सं. 1 किसी प्रकार की दखल व दस्तअंदाजी न तो स्वयं करें, न ही किसी अन्य से करवावें तथा उक्त खसरा की भूमि किसी प्रकार का रास्ता न तो स्वयं कायम करें और न किसी अन्य से करवावें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर एकतरफा बहस सुनी गई। एकतरफा स्थगन आदेश जारी किया व पत्रावली वास्ते तलबी हेतु जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.06.24 को पेश हुई। अप्रार्थी ने जवाब पेश किया जिसमें कथन किया कि रास्ते की भूमि पर स्थगन आदेश नही दिया जा सकता है और प्रार्थिया के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना नही पाया जाता है इसलिये प्रार्थीया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी दिनांक 23.05.24 को निरस्त फरमाया जावे।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र को तय करते समय तीन बिन्दु विचारणीय है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति यह तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होना नही पाया जाता है। क्योकि अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार है इसलिये उनके विरूद्व किसी अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना उनके हितो के विरूद्व है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया । उपरोक्त वादग्रस्त खसरान में प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है जो उचित नही है। इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 23.05.2024 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21/8/24 ..को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी